Department Details:	
Department Name	Rajasthan State Road Transport Corporation
Department Type	Corporation
Procuring Entity Name:	Mr. Manager Finance
Procuring Entity Contact:	Email: cmjaipur[dot]rsrtc[at]gmail[dot]com, Mobile: 9549657463
Office Address:	Jaipur Depot, CM RSRTC, Jaipur depot, Jaipur, (Jaipur), PIN:302001, Landline No.:95 49657463, Fax No.:

NIB Details:	
NIB Code	**RTC2526A0722**
NIB Reference no	752/25-02-2026
NIB Publish Date	25/02/2026
NIB Published Bids	1 / 1
NIB Document	_ [English n हिन्दी] 908.46 KB
NIB Financial Year	2025 - 2026

Bid Details:	
UBN	**RTC2526SSOB00838**
Bid Title	Technology/Financial tender form for cleaning and washing of vehicles of Jaipur depo t
Bid Type	Services
Bid Sub Type	Hiring of Manpower
Bid Pattern	Open Competitive Bidding
Bid Amount	₹500000.00
Bid Required in Cover(s)	1
Bid Document	_ [English n हिन्दी] 908.46 KB
First Appeal Hearing Authority	manager Finance
Second Appeal Hearing Authority	Chief Manager
Is Emergency Procurement OR Rel axation U/R 40(1) or 43(6) or 43(7)?	Yes
Critical Dates:	
Bid Uploaded Date	25/02/2026
Bid Publish Date	25/02/2026
Bid Submission End Date	04/03/2026
Bid Open Date	04/03/2026

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर आगार

कार्यालयः– मुख्य प्रबन्धक जयपुर आगार, जयपुर 302001 EMAIL-ID:–rsrtc.cmjpr@yahoo.com

क्रमांकः–एफ / ज.आ. / मु.प्र. / वित्त / सामा / 2026 / दिनांकः–

निविदा फार्म संख्या........................

शुल्क रूपये 500.00+Gst 18%

जयपुर आगार के वाहनों की सफाई व धुलाई कार्य हेतु तकनीकी निविदा–फार्म

01	आवेदनकर्ता का नाम / फर्म का नाम व रजिस्ट्रेशन नम्बर	
02	आवेदनकर्ता की जीएसटी / आधार / पैन कार्ड नम्बर	
03	आवेदनकर्ता का स्थाई पता	
04	आवेदनकर्ता का दूरभाष / मोबाईल नम्बर	
05	आवेदनकर्ता का पत्र व्यवहार का पता	
06	आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन फार्म हेतु निगम कोष में जमा कराई गई राशि की रसीद संख्या / दिनांक	
07	निविदा सुरक्षा राशि की रसीद संख्या / दिनांक	
08	ब्लैक लिस्टैड नही होने का प्रमाण–पत्र	
09	टर्न–आवर (गत तीन वर्ष का)	

नोटः– तकनिकी एवं वित्तीय निविदा दोनो अलग–अलग लिफाफों मे प्रस्तुत करनी होगी।

मुख्य प्रबंधक
जयपुर आगार।

मैं / हम घोषणा करता / करते हैं / है कि आवेदन–पत्र में अंकित सूचना मेंरी / हमारी निजी जानकारी के अनुसार सही है, जिन्हें पूर्णतः पढकर एवं समझकर स्वीकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर आगार

कार्यालयः— मुख्य प्रबन्धक जयपुर आगार, जयपुर 302001 EMAIL-ID:–rsrtc.cmjpr@yahoo.com

क्रमांकः—एफ/ज.आ./मु.प्र./वित्त/सामा/2026/752 दिनांकः— 25/02/2026

जयपुर आगार के वाहनो की सफाई व धुलाई कार्य हेतु वित्तीय निविदा फार्म

01	आवेदनकर्ता का नाम/फर्म का नाम	
02	आवेदनकर्ता का स्थाई पता/पत्र व्यवहार का पता	
03	जयपुर आगार की वाहनों की सफाई/धुलाई कार्य हेतु प्रतिवाहन प्रस्तावित दर	

निविदा की शर्ते—

1. वाहन धुलाई कार्य के लिये प्रतिदिन कम से कम छः सफाईकर्मी उपलब्ध करवाने होगे, जिनमें से दो सफाईकर्मी प्रत्येक पारी में उपलब्ध करवाने होगें।
2. वाहनो की अन्दर की साफ /सफाई व धुलाई से तात्पर्य सभी बसो में नियमित सम्पूर्ण साफ/सफाई से है।
3. बसो की धुलाई के स्थल (धुलाई डग में किसी प्रकार पानी भरा हुआ एंव पानी निकाष की नाली) की साफ/ सफाई फर्म को ही करनी होगी।
4. वाहनो की धुलाई करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए निगम प्रशासन उत्तरदायी नही होगा।
5. ई.एस.आई एवं ईपीएफ कटौती एवं भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं अनुबंधकर्ता फर्म की होगी। यदि कोई प्रपत्र अथवा पंजीयन संबंधी दस्तावेज द्वितीय पक्षकार के दायित्व में नहीं हो तो इसके लिए द्वितीय पक्षकार एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
6. अनुबंधकर्ता फर्म के द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करने तथा आवंटित कार्य सन्तोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध समाप्त करते हुये प्रतिभु राशि जब्त की जा सकती है।
7. निविदादाता को 14,000/ रूपये सुरक्षा राशि निविदा आवेदन के समय निगम कोष में जमा करानी होगी जिसे नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
8. द्वितीय पक्षकार अपने सफाईकर्मीयों को देय भुगतान में से नियमानुसार भविष्य निधी एवं राज्य कर्मचारी बीमा राशि काट कर सम्बंधित विभाग में जमा करायेगे एवं इसके जमा कराने का चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर आगामी माह के देयको का भुगतान किया जावेगा।
9. द्वितीय पक्षकार को देय भुगतान में से नियमानुसार समस्त करो की कटौती की जायेगी।
10. निविदा अनुबन्ध एक वर्ष के लिये किया जायेगा परन्तु द्वितीय पक्षकार का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर प्रतिभुति राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करने होगे। जिनके प्रमाणिकरण उपरान्त ही राशी का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
12. द्वितीय पक्षकार का दैनिक रूप से जयपुर आगार में बसों की धुलाई/ साफ सफाई करनी होगी ।
13. कार्य के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना में द्वितीय पक्षकार के आदमी को हुई हानि/चोट/मृत्यू आदि के लिये द्वितीय पक्षकार स्वयं जिम्मेदार होगा। निगम प्रशासन किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
14. द्वितीय पक्षकार को बिना अनुमति/ कारण बताये कार्य से अनुपस्थित रहने पर 500/— रुपये प्रति दिवस वसूले जायेंगे।
15. किसी विशेष परिस्थिती के कारण कार्य निलंबित रहने के कारण अनुबन्धकर्ता को यदि अतिरिक्त व्यय होता है तो उसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
16. सफल निविदादाता के कार्मिकों द्वारा निगम सम्पत्ती को हुए नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी एवं निगम को हुई क्षति का पुनर्भरण ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
17. सफल निविदादाता को 35,000/— रुपये प्रतिभू/घरोहर राशि तुरन्त निगम कोष में जमा करानी होगी जिसे अनुबंध अवधि समाप्ति बाद लौटा दिया जायेगा जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
18. निगम को उक्त अनुबंध बिना नोटिस दिए समाप्त करने का अधिकार होगा परन्तु फर्म द्वारा अनुबंध समाप्त करने बाबत एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा प्रतिभू राशि जब्त कर ली जायेगी।

19. निविदादाता को कार्य हेतु दरें साफ शब्दों में देनी होगी कटिंग या किसी प्रकार की ओवर राइटिंग की गई दर स्वीकार नहीं की जावेगी।

20. निविदादाता को वाहन की धुलाई/सफाई हेतु संबंधी वस्तु जैसे– झाडू, पौछा, फिनाइल इत्यादि अनुबंधकर्ता की रहेगी।

21. यदि अनुबंधकर्ता द्वारा उपरोक्त सफाई सम्बंधी कार्य निर्धारित समयावधि में या निगम की मांग के अनुसार नहीं करता है एंव निगम को अपना कार्य सुचारु रुप से चलाने हेतु यदि किसी अन्य फर्म से उक्त कार्य करवाना पड़े तो अन्तर राशि की कटौती उसके बकाया भुगतान या सुरक्षा राशि से कर ली जावेगी।

22- अनुबंधकर्ता द्वारा किये गये सफाई सम्बंधी कार्य के बदले भुगतान 30 कार्य दिवस में किया जावेगा इस से अधिक देरी होने पर ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

23. code of integrity

1. आर ० टी० पी० पी० एक्ट के प्रावधानों एवं वर्णित नियमों के अनुसार
2. सेवा के दोरान शिकायत निवारण आर ० टी० पी० पी० एक्ट के प्रावधानों एवं वर्णित नियमों के अनुसार

प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम श्रीमान कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक)

द्वितिय अपीलीय अधिकारीका पद नाम श्रीमान प्रबंध निदेशक रा.रा.प.प निगम

24. अनुबंधकर्ता द्वारा निविदा से सम्बंधित कार्य किसी को सब्लेट नहीं किया जा सकेगा। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कि जा सकेगी।

25. उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा।

26. सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश जारी होने के 07 दिवस में निर्धारित प्रोफार्मा में कार्य अनुबंध करना होगा एवं सफाईकर्मी उपलब्ध करवाने होगे. अन्यथा प्रतिभू/घरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

27. अनुबंधकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाल सफाईकर्मी कर्मचारी सदव्यवहारी एवं ईमानदार होगे तथा इनके आचरण एवं कार्य हेतु अनुबंधित फर्म पूर्ण उत्तरदायी रहेगी। यदि फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता की जाती है तो निगम द्वारा इस सम्बंध में नोटिस जारी करने पर फर्म को तुरन्त सम्बंधित कर्मी को हटाना होगा तथा अनुबंधित फर्म के कर्मचारी के किसी कार्य से निगम को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है तो उसकी वसूली सम्बंधित फर्म से की जावेगी।

28. अनुबंध के सबंध मे न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर जिले का होगा।

29. अनुबंध की शर्तो की पालना नही करने व कार्य सन्तोषप्रद नही पाये जाने पर फर्म/ अनुबंधकर्ता को ब्लैक लिस्टैण्ड घौषित कर निगम कोष में जमा सम्पूर्ण धरोहर राशि निगम कोष में जब्त कर ली जावेगी।

Chief Manager
Jaipur depot

मैं / हम घोषणा करता/ करते हैं/ है कि आवेदन–पत्र में अंकित सूचना मेंरी/हमारी निजी निकारी के अनुसार सही है, जिन्हें पूर्णतः पढकर एवं समझकर स्वीकारोक्तिस्वरूप हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

Department Details:

Department Name	Rajasthan State Road Transport Corporation
Department Type	Corporation
Procuring Entity Name:	Mr. Manager Finance
Procuring Entity Contact:	Email: cmjaipur[dot]rsrtc[at]gmail[dot]com, Mobile: 9549657463
Office Address:	Jaipur Depot, CM RSRTC, Jaipur depot, Jaipur, (Jaipur), PIN:302001, Landline No.:95 49657463, Fax No.:

NIB Details:

NIB Code	**RTC2526A0720**
NIB Reference no	753/25-02-2026
NIB Publish Date	25/02/2026
NIB Published Bids	1 / 1
NIB Document	[English n हिन्दी] 1.03 MB
NIB Financial Year	2025 - 2026

Bid Details:

UBN	**RTC2526SSOB00837**
Bid Title	Tenders are invited for cleaning work in the offices of Chief Manager and Manager (Operations/Traffic) and both the workshop premises and the toilets/bathrooms located there in Jaipur Depot.
Bid Type	Services
Bid Sub Type	Hiring of Manpower
Bid Pattern	Open Competitive Bidding
Bid Amount	₹400000.00
Bid Required in Cover(s)	1
Bid Document	[English n हिन्दी] 1.03 MB
First Appeal Hearing Authority	manager Finance
Second Appeal Hearing Authority	Chief Manager
Is Emergency Procurement OR Relaxation U/R 40(1) or 43(6) or 43(7)?	Yes

Critical Dates:

Bid Uploaded Date	25/02/2026
Bid Publish Date	25/02/2026
Bid Submission End Date	04/03/2026
Bid Open Date	04/03/2026

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर आगार

कार्यालयः– मुख्य प्रबन्धक जयपुर आगार, जयपुर 302001 EMAIL-ID:–rsrtc.cmjpr@yahoo.com

क्रमांकः–एफ / ज.आ. / मु.प्र. / वित्त / सामा / 2026 /

दिनांकः–

निविदा फार्म संख्या........................

शुल्क रूपये 500.00+Gst 18%

जयपुर आगार में मुख्य प्रबंधक एवं प्रबंधक (संचा / वित्त / याता) के कार्यालय एवं दोनो कार्यशाला मैदान एवं उक्त परिसर में स्थित शौचालय एवं स्नान घर की साफ / सफाई की तकनीकी निविदा–फार्म

01	आवेदनकर्ता का नाम / फर्म का नाम व रजिस्ट्रेशन नम्बर	
02	आवेदनकर्ता का जीएसटी / आधार / पैन कार्ड नम्बर	
03	आवेदनकर्ता का स्थाई पता	
04	आवेदनकर्ता का दूरभाष / मोबाईल नम्बर	
05	आवेदनकर्ता का पत्र व्यवहार का पता	
06	आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन फार्म हेतु निगम कोष में जमा कराई गई राशि की रसीद संख्या / दिनांक	
07	निविदा सुरक्षा राशि की रसीद संख्या / दिनांक , डीडी संख्या / दिनांक	

नोटः– तकनिकी एवं वित्तीय निविदा दोनो अलग–अलग लिफाफों मे प्रस्तुत करनी होगी।

मुख्य प्रबंधक
जयपुर आगार।

मैं / हम घोषणा करता / करते हैं / है कि आवेदन–पत्र में अंकित सूचना मेंरी / हमारी निजी जानकारी के अनुसार सही है, जिन्हें पूर्णतः पढकर एवं समझकर स्वीकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालयः– मुख्य प्रबन्धक,जयपुर आगार

परिवहन मार्ग,चौमू हाउस, जयपुर 302001,

Email- rsrtc.cmjpr@yahoo.com

क्रमांकः–एफ/ज.आ./मु.प्र./सामा./26/753

दिनांकः– 25/02/2026

निविदा सूचना

जयपुर आगार में मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (संचालन/यातायात) के कार्यालय एवं दोनो कार्यशाला परिसर एवं वहां पर स्थित शौचालय/स्नान घर में सफाई कार्य हेतु निविदायें आमन्त्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

S.N.	Description	
		EST.COST
1	जयपुर आगार में मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (संचालन/यातायात) के कार्यालय एवं दोनो कार्यशाला परिसर एवं वहां पर स्थित शौचालय/स्नान घर में सफाई कार्य	4,00,000/–
2.	निविदादाता/फर्म का नाम	
3	निविदादाता द्वारा कार्य करने की दर	

1. साफ सफाई एवं झाडू का कार्य प्रतिदिवस करना होगा।
2. सेवा प्रदाता के पास संबंधित निविदा में कार्य का उचित अनुभव होना चाहिए।
3. सफाई कार्य हेतु प्रतिदिन कम से कम चार सफाईकर्मी उपलब्ध कराने होगें।
4. साफ /सफाई व धुलाई से तात्पर्य मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (संचालन/यातायात) के कार्यालय एवं दोनो कार्यशाला परिसर एवं वहां पर स्थित शौचालय/स्नान घर आदि का सफाई कार्य है।
5. कार्यालय में नियमित साफ/सफाई, झाडू, पोछा प्रत्येक दिवस लगाना होगा साथ ही झाडू पोछा संबंधित समस्त सामग्री अनुबंधकर्ता/फर्म की होगी निगम किसी प्रकार का देय नही होगा।
6. साफ सफाई करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए निगम प्रशासन उत्तरदायी नही होगा।
7. ई.एस.आई एवं ईपीएफ काटौती एवं भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं अनुबंधकर्ता फर्म की होगी। यदि कोई प्रपत्र अथवा पंजीयन सम्बन्धित द्वितीय पक्षकार के दायित्व में नहीं हो तो इसके लिए द्वितीय पक्षकार एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
8. अनुबंधकर्ता फर्म के द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करने तथा आवटित कार्य सन्तोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध समाप्त करते हुये प्रतिभु राशि जब्त की जा सकती है।
9. निविदादाता को 10,000/ रूपये धरोहर राशि निविदा आवेदन के समय निगम कोष में जमा करानी होगी जिसे नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
10. द्वितीय पक्षकार अपने सफाईकर्मीयों को देय भुगतान में से नियमानुसार भविष्य निधी एवं राज्य कर्मचारी बीमा राशि काट कर सम्बंधित विभाग में जमा करायेगे एवं इसके जमा कराने का चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर आगामी माह के देयको का भुगतान किया जावेगा।
11. द्वितीय पक्षकार को देय भुगतान में से नियमानुसार समस्त करो की कटौती की जायेगी।
12. निविदा अनुबन्ध एक वर्ष के लिये किया जायेगा परन्तु द्वितीय पक्षकार का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर प्रतिभुति राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करने होगे। जिनके प्रमाणिकरण उपरान्त ही राशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
14. कार्य के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना में द्वितीय पक्षकार के आदमी को हुई हानि/चोट/मृत्यू आदि के लिये द्वितीय पक्षकार स्वयं जिम्मेदार होगा। निगम प्रशासन किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
15. द्वितीय पक्षकार को बिना अनुमति/ कारण बताये कार्य से अनुपस्थित रहने पर 500/– रुपये प्रति दिवस वसूले जायेंगे।

16. किसी विशेष परिस्थिती के कारण कार्य निलंबित रहने के कारण अनुबन्धकर्ता को यदि अतिरिक्त व्यय होता है तो उसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
17. सफल निविदादाता के कार्मिकों द्वारा निगम सम्पती को हुए नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी एवं निगम को हुई क्षति का पुर्नभरण ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
18. सफल निविदादाता को 20,000/- रूपये सुरक्षा/प्रतिभू राशि तुरन्त निगम कोष में जमा करानी होगी जिसे अनुबंध अवधि समाप्ति बाद लौटा दिया जायेगा जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
19. निगम को उक्त अनुबंध बिना नोटिस दिए समाप्त करने का अधिकार होगा परन्तु फर्म द्वारा अनुबंध समाप्त करने बाबत एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा प्रतिभू राशि जब्त कर ली जायेगी।
20. निविदा दाता को दरें साफ शब्दों में देनी होगी कटिंग या किसी प्रकार की ओवर राइटिंग की गई दर स्वीकार नहीं की जावेगी
21. यदि अनुबंधकर्ता द्वारा उपरोक्त सफाई सम्बंधी कार्य निर्धारित समयावधि में या निगम की मांग के अनुसार नहीं करता है एंव निगम को अपना कार्य सुचारु रुप से चलाने हेतु यदि किसी अन्य फर्म से उक्त कार्य करवाना पड़े तो अन्तर राशि की कटौती उसके बकाया भुगतान या सुरक्षा राशि से कर ली जावेगी।

22- अनुबंधकर्ता द्वारा किये गये सफाई सम्बंधी कार्य के बदले भुगतान 30 कार्य दिवस में किया जावेगा इस से अधिक देरी होने पर ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

23- code of integrity

1. आर ० टी० पी० पी० एक्ट के प्रावधानों एवं वर्णित नियमों के अनुसार
2. सेवा के दोरान शिकायत निवारण आर ० टी० पी० पी० एक्ट के प्रावधानों एवं वर्णित नियमों के अनुसार

प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम   श्रीमान कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक)
द्वितिय अपीलीय अधिकारीका पद नाम   श्रीमान प्रबंध निदेशक रा.रा.प.प निगम

24. अनुबंधकर्ता द्वारा निविदा से सम्बंधित कार्य किसी को सब्लेट नहीं किया जा सकेगा। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कि जा सकेगी।
25. उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा।
26. सफल निविदा कर्ता को कार्यादेश जारी होने के 07 दिवस में निर्धारित्त प्रोफार्मा में कार्य अनुबंध करना होगा एवं सफाईकर्मी उपलब्ध करवाने होगे. अन्यथा प्रतिभू/धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
27. अनुबंधकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले सफाईकर्मी कर्मचारी सदव्यवहारी एवं ईमानदार होगे तथा इनके आचरण एवं कार्य हेतु अनुबंधित फर्म पूर्ण उत्तरदायी रहेगी। यदि फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता की जाती है तो निगम द्वारा इस सम्बंध में नोटिस जारी करने पर फर्म को तुरन्त सम्बंधित कर्मी को हटाना होगा तथा अनुबंधित फर्म के कर्मचारी के किसी कार्य से निगम को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है तो उसकी वसूली सम्बंधित फर्म से की जावेगी।
28. अनुबंध के सबंध मे न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर जिले का होगा।
29 अनुबंध की शर्तो की पालना नही करने व कार्य सन्तोषप्रद नही पाये जाने पर फर्म/अनुबंधकर्ता को ब्लैक लिस्टैण्ड धौषित कर निगम कोष में जमा सम्पूर्ण धरोहर राशि निगम कोष में जब्त कर ली जावेगी।

मुख्य प्रबंधक
जयपुर आगार।

अनुबंधकर्ता ठेकेदार के हस्ताक्षर मय मोहर